

05/2021 राजेंद्र सिंह बनाम करण सिंह

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16-8-21	<p>अपीलांत वकील के 97 पर आज पेश की पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">A/S</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	<p>अपील खारिज की गयी।</p> <p>8/</p> <p>01</p> <p>पदेन राजस्व अधिकारी</p> <p>11/10/21</p>